प्रकीर्ण आदेश संख्या–112 दिनांक–जून 29,2020

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की अधिसूचना संख्या–2611 UHC/Admin.B/Corona-19. दिनांकित 16.06.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशो के अनुपालन में, जिला न्यायालय परिसर, उत्तरकाशी में न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारियो को छोड कर वादकारियो व अन्य किसी भी व्यक्ति को न्यायालय परिसर में किसी कार्य के लिए प्रवेश हेतु ई–गेटपास अनिवार्य होगा। ई–गेटपास निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता हैः–

जिला न्यायालय परिसर में कार्य विशेष से प्रवेश हेतु ई–पास प्राप्त करने हेतु एक दिन पूर्व वेबसाइट– https://egatepass.uk.gov.in_e_pass.php में लोगिन कर ई–गेटपास दर्शित फार्म को भर कर अनुरोध करना होगा। आगन्तुक को आवेदन में अपना ई–मेल, पूरा पता, वैध मोबाइल नम्बर,, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पहचानपत्र संख्या तथा प्रवेश का उद्‌देश्य लिखना अनिवार्य होगा। उक्त में किसी सूचना के न होने पर, ई–गेटपास निर्गत नहीं किया जाएगा। ई–गेटपास आवेदक सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिये जनपद न्यायालय उत्तरकाशी की वेबसाईट पर जाकर हेल्पलाइन (helpline no.) में दिये गये दूरभाष एंव मोबाईल नम्बरो पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है। ई–गेटपास हेतु अनिवार्य प्रक्रिया संलग्न है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणबस ई–गेटपास का प्रिन्ट नहीं ले पाता है, तो वह अपने मोबाइल फोन में ई–गेटपास दिखा कर प्रवेश पा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति किसी लम्बित मामले में ई–गेटपास प्राप्त करना चाहता है, तो वह इस बारे में सुनवाई की तिथि से 24 घण्टे पहले आवेदन करना सुनिश्चित करे। ऐसे किसी भी अधिवक्ता के पक्ष में ई–गेटपास जारी नहीं किया जाएगा, जिसका नाम उस दिन की कॉजलिस्ट में उल्लिखित नहीं होगा। किसी अन्य कार्य के लिए आगन्तुक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह एक दिन पहले अपराह्न 1:30 बजे तक ई–गेटपास के लिये आवेदन करे। किसी अति आवश्यक प्रकरण रिमाण्ड, जमानत, वाहन अवमुक्ति एवं अस्थाई निषेधाज्ञा आदि में उपस्थिति/बहस के लिये आगन्तुक उसी दिन प्रातः 11:30 बजे तक आवेदन कर ई–गेटपास प्राप्त कर सकेंगे। किसी वाद या प्रकरण में प्रार्थना पत्र या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये ई–गेटपास निर्गत नहीं किया जाएगा तथा इस प्रयोजन के लिए जिला न्यायालय उत्तरकाशी के मुख्य द्वार पर ड्रॉप बाक्स रखा गया है, जिसमें ऐसे प्रार्थना पत्र या दस्तावेज को डाला जा सकेगा। प्रभारी अधिकारी, नजारत व केन्द्रीय नाजिर उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें। यह आदेश दिनांक–29.06.2020 से प्रभावी होगा।

जिला न्यायाधीश
जिला उत्तरकाशी।

कार्यालय जिला न्यायाधीश उत्तरकाशी जिला उत्तरकाशी।
पत्रांकः 290(1) / 2020 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,जिला उत्तरकाशी।
2. जिला मजिस्ट्रेट,उत्तरकाशी।
3. सिविल जज (जू0डि0) / न्यायिक मजिस्ट्रेट,जिला उत्तरकाशी।
4. सिविल जज (जू0डि0) / न्यायिक मजिस्ट्रेट,पुरोला जिला उत्तरकाशी।
5. सिविल जज (जू0डि0) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडकोट जिला उत्तरकाशी।
6. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला उत्तरकाशी।
7. पुलिस अधीक्षक जिला उत्तरकाशी।
8. अध्यक्ष जिला बार संध उत्तरकाशी।
9. जेल अधीक्षक,जिला कारागार नई टिहरी।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जिला जजी उत्तरकाशी।